30

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

109 दरौंदा विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसारण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्रीमती कविता कुमारी (नाम) ग्राम-श्रीपाल बसंत, पो०-बसंत, जिला-सारण, बिहार (पता) जि जनता दल ्रानाइटेड) द्वारा खड़े की गई हैं।

उस सदन में,

श्रीमती जगमातो देवी की मृत्यु के कारण हुई रिकित को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई है।

्थान-सीवान

दिनाक-17.10.2011

रिटर्निंग ऑफिसर, 109-दरौंदा

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21D

(See rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Deceleration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

* Election to the Legislative Assembly of Bihar (State) from 109- Daraundha Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Kavita Kumari (Name) Vill-Sripal Basant Po-Basant, Distt-Saran, Bihar (Address) [Sponsored by Janata Dal (United) recognised political party] has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Jagmato Devi having been declared vacant.

Place: Siwan

Date: 17.10.2011

Returning Officer-109 Daraundha